

श्री राजीव भरतरी, प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष-कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा की अध्यक्षता में दि० 23.02.2021 को मंथन सभागार में आयोजित उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा) की कार्यकारी समिति की पंचम बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थिति सदस्यों/प्रतिनिधियों का विवरण :

1. श्री डी०जी०के० शर्मा, प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड।
2. श्री जे०एस० सुहाग, मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड।
3. श्री विनीत पांगती, अपर प्रमुख वन संरक्षक, अनुसन्धान प्रशिक्षण एवं प्रबन्धन।
4. श्री समीर सिन्हा, अपर प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनाएं, उत्तराखण्ड।
5. श्री एस०पी० तिवारी, उप सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
6. श्री दिनेश वर्मा, संयुक्त निदेशक, प्रतिनिधि-अपर सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन।
7. सुश्री महिमा, संयुक्त सचिव-कृषि, प्रतिनिधि-अपर सचिव, कृषि, उत्तराखण्ड शासन।
8. श्री मनोज कुमार तिवारी, डी०पी०आर०ओ०, प्रतिनिधि-अपर सचिव-पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन।
9. श्री जे०सी० जोशी, वित्त नियंत्रक, वन विभाग।
10. श्री एस०टी०एस० लेप्चा, जनजाति मामलों के विशेषज्ञ/जनजाति समुदाय के प्रतिनिधि।
11. श्री संतोष रावत, प्रतिनिधि उज्जवला, गैर सरकारी संगठन, कोटद्वार।
12. श्री जे०एस० सुहाग, अपर प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा एवं सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड कैम्पा।

सर्वप्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सदस्य-सचिव, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कार्यकारी समिति की पंचम बैठक की एजेण्डावार कार्यवाही निम्नप्रकार प्रारम्भ की गई :-

कार्यसूची कार्यकारी समिति 5.1:

दिनांक 23.09.2020 को सम्पन्न हुई चतुर्थ कार्यकारी समिति की बैठक की कार्यवाही की पुष्टि एवं अनुपालन:

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा दिनांक 23.09.2020 को आयोजित कार्यकारी समिति की चतुर्थ बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार लिए गये निर्णयों की बिन्दुवार अनुपालन

आख्या समिति के सदस्यगणों के समक्ष प्रस्तुत की गई। समिति द्वारा कार्यवृत्त का अनुमोदन प्रदान किया गया।

कार्यसूची कार्यकारी समिति 5.2: वित्तीय वर्ष 2020-21 की स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना के सापेक्ष उपलब्धि :-

मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सदस्य-सचिव, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा सदस्यगणों को अवगत कराया गया कि भारत सरकार को संचालन समिति द्वारा कुल अनुमोदित ₹22856.00 लाख की वार्षिक कार्ययोजना को अन्तिम अनुमोदन हेतु राष्ट्रीय कैम्पा, भारत सरकार को प्रेषित किया गया था। भारत सरकार द्वारा इसके सापेक्ष वर्ष 2020-21 की वार्षिक कार्ययोजना कुल ₹22509.00 लाख हेतु स्वीकृत की गई है, जिसमें भारत सरकार द्वारा निम्नानुसार गतिविधियों को अनुमन्य नहीं किया गया है :-

- वन्यजीव पशु चिकित्सा एवं चिकित्सालय का निर्माण (देहरादून)
- कुम्भ मेले के दौरान मानव वन्यजीव संघर्ष रोकथाम हेतु वाहन किराये पर लेना
- ट्रेनिंग सेंटर का सुदृढीकरण
- अनुश्रवण एवं मूल्यांकन (आंतरिक)
- लम्बी दूरी की गश्त

उपरोक्त के अतिरिक्त नवगठित कैम्पा के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा अधिसूचित कैम्पा नियमावली, 2018 में एन0पी0वी0 के अंतर्गत प्रतिबन्धित गतिविधियों के सम्बन्ध में भी समिति को अवगत कराया गया।

वार्षिक कार्ययोजना 2020-21 की स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष क्रियान्वयन अभिकरणों को वर्तमान तक अवमुक्त धनराशि व उसके विरुद्ध व्यय की प्रगति भी समिति के सम्मुख प्रस्तुत की गई, जिसका घटकवार विवरण निम्नानुसार है:-

विवरण	क्षतिपूरक वनीकरण	कैट प्लान	एन0पी0वी0	अन्य	अर्जित ब्याज	कुल योग
स्वीकृत कार्ययोजना	5575.00	3000.00	11616.00	1443.00	875.00	22509.00
अवमुक्त धनराशि	5017.50	2978.00	9611.04	1111.78	242.38	18960.69
व्यय धनराशि	3198.64	2194.37	6479.96	696.97	7.68	12577.62
अवमुक्त के सापेक्ष व्यय %	64	74	67	62	3	66



सदस्यगणों को अवगत कराया गया कि उपरोक्त स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना में नमामि गंगे परियोजना हेतु ₹ 2000 लाख की धनराशि प्राविधानित है, उनके स्तर से मांग प्राप्त न होने के कारण यह धनराशि उन्हें अवमुक्त नहीं की गई है।

क्रियान्वयन अभिकरणों को अवमुक्त धनराशि में अग्रिम मृदा कार्य एवं अनुरक्षण सम्बन्धी धनराशि सम्मिलित है, जिसमें माह जनवरी से मह मार्च तक कार्य किया जाता है, अतः इन कार्यों को 31 मार्च, 2021 तक पूर्ण किए जाने का लक्ष्य है। सदस्यगणों के सम्मुख स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का विवरण प्रस्तुत किया गया। अवमुक्त के सापेक्ष वर्तमान तक 66 प्रतिशत के व्यय की प्रगति पर समिति द्वारा संतोष व्यक्त किया गया।

### कार्यसूची कार्यकारी समिति 5.3: वित्तीय वर्ष 2020-21 की अनुपूरक वार्षिक कार्ययोजना

मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सदस्य-सचिव, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा उपस्थित सदस्यगणों को अवगत कराया गया कि वर्ष 2020-21 हेतु उत्तराखण्ड कैम्पा, संचालन समिति की दिनांक 12 अक्टूबर, 2020 को सम्पन्न चतुर्थ बैठक में प्रदत्त स्वीकृति के उपरान्त कुल ₹ 26249.09 लाख की अनुपूरक वार्षिक कार्ययोजना भारत सरकार को प्रेषित की गई थी। राष्ट्रीय प्राधिकरण, कैम्पा, भारत सरकार की कार्यकारी समिति की दिनांक 03 फरवरी, 2021 को सम्पन्न दसवीं बैठक में उक्त सापेक्ष ₹ 12855.00 लाख की अनुपूरक कार्ययोजना को स्वीकृति प्रदान की गई। समिति उपरोक्त से अवगत हुई।

### कार्यसूची कार्यकारी समिति 5.4: वित्तीय वर्ष 2021-22 की प्रस्तावित वार्षिक कार्ययोजना का अनुमोदन :-

मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सदस्य-सचिव, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि वर्ष 2021-22 हेतु राष्ट्रीय कैम्पा प्राधिकरण एवं मा0 एन0जी0टी0 में योजित विभिन्न मूल आवेदनों के सम्बन्ध में मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में नदियों के पुनर्जनन/उपचार एवं इन क्षेत्रों में वनीकरण सम्बन्धी कार्यों एवं वन एवं वन्यजीवों की सुरक्षा को और सुदृढ़ किए जाने के सम्बन्ध में उच्च स्तरों से प्राप्त निर्देशों के क्रम में, कैम्पा के मानकों अनुसार समुचित धनराशि का प्राविधान करते हुए वर्ष 2021-22 की वार्षिक कार्ययोजना तैयार की गई है। उक्त को सम्मिलित करते हुए ऑनलाइन माध्यम से जोनल स्तर की स्वीकृति से प्राप्त प्रस्तावों सहित कुल ₹ 95080.90 लाख की धनराशि की वार्षिक कार्ययोजना को कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रस्तावित कार्ययोजना का घटकवार विवरण निम्नानुसार है:-

वचनबद्ध गतिविधियां			एन०पी०वी०	अर्जित ब्याज	कुल योग (लाख ₹ में)
क्षतिपूरक वनीकरण	अन्य विशिष्ट कार्य	कैट प्लान			
8346.53	2515.44	10959.85	70309.08	2950.00	95080.90

समिति के समक्ष वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत सम्मिलित गतिविधियों का निम्नानुसार विवरण प्रस्तुत किया गया:-

Amount in Lakh Rs.

S. No.	CAF Act / Rule	Component / Activity	Unit	Proposed	
				Physical Target	Financial Target
1	2	3	4	5	6
<b>SITE SPECIFIC ACTIVITIES</b>					
<b>A</b>	<b>Compensatory Afforestation</b>				
1	As per Section 6(a) of CAF Act 2016	Advance Soil Works	ha	6000	5158.85
2		Plantation	ha	3000	1090.00
3		Plantation Maintenance	ha	10645	1313.59
4		Nursery Maintenance	No of plants	6188549	247.25
5		Nursery Raising/upgradation	No of plants	5372838	536.84
	<b>Sub-Total</b>	<b>SUB TOTAL</b>			<b>8346.53</b>
<b>B</b>	<b>Catchment Area Treatment (CAT) Plan</b>				
1	As per Section 6(a) of CAF Act 2016	Tapovan Vishnugad HEP	As per approved Catchment Area Treatment (CAT) Plan		1078.96
2		Lata Tapovan HEP			707.23
3		Singoli Bhatwari HEP			583.50
4		Phatta Byung HEP			418.47
5		Srinagar HEP			233.28
6		Lakhwar HEP			2975.69
7		Vishungad Pipalkoti HEP			1658.65
8		Vyasi HEP			600.87
9		Mori Naitwar HEP			661.11
10		Jamrani HEP			621.15
11		Khutani HEP			420.94
12		New CAT Plans			1000.00



S. No.	CAF Act / Rule	Component / Activity	Unit	Proposed	
				Physical Target	Financial Target
1	2	3	4	5	6
	<b>Sub-Total</b>	<b>SUB TOTAL</b>			<b>10959.85</b>
<b>C</b>	<b>Other 'Specified' Works</b>				
1	As per Section 6(a) of CAF Act 2016	Road Side Plantations	Row Km	316	620.10
2		Gap Filling Plantations	Ha	22.2	339.35
3		Dwarf Species ASW / Plantations	ha	181.59	185.90
4		Nursery upgradation/ Maintenance	Nos.	701657	80.09
5		River Training Works [KOSI , DABKA , SONG]	LS	LS	810.00
6		Muck Disposal	LS	LS	480.00
	<b>Sub-Total</b>	<b>SUB TOTAL</b>			<b>2515.44</b>
	<b>TOTAL</b>				<b>21821.82</b>
<b>D</b>	<b>NET PRESENT VALUE (NPV)</b>				
<b>Core Activities (Min. 80% of NPV)</b>					
1	Rule 5(2)(a)	Assisted Natural Regeneration (ANR)	ha	1545.5	1108.25
2	Rule 5(2)(b)	Artificial Regeneration / Plantations (Oak, Deodar, others)	ha	845	579.94
		Nurseries & Maintenance (Oak, Deodar, others)	No's	1202603	334.36
		Nursery Upgradation/establishment of modern nursery under NPV	No's	43	430.00
3	Rule 5(2)(b)	Establishment of City Forest in Dehradun	Ha	3	225.00
4	Rule 5(2)(b)	Community Plantation and Mobilization (Harela / Van Mahotsav)	LS	LS	500.00
5	Rule 5(2)(b)	Provision for afforestation in urban areas (green lungs development) nature based responsible landscape deveopment	LS	LS	2000.00
6	Rule 5(2)(b)	Nursery Maintenance of Medicinal and Aromataic	LS	LS	20.00

S. No.	CAF Act / Rule	Component / Activity	Unit	Proposed	
				Physical Target	Financial Target
1	2	3	4	5	6
		Plants			
7	Rule 5(2)(b)	Establishment of High-Altitude Plants Conservation Area	No.	2	10.00
8	Rule 5(2)(b)	Afforestation led treatment of Bhela, Dhela, Suswa, Pilakhar, Nandhour & Kalyani rivers and Yamuna river with the help of CSWRTI / IISWC for restoration of ecological balance including survey with LIDAR technology as per directions of Hon. NGT and PCB, Gol & Conservation of Wetlands- as per direction of NGT.	Nos.	7	2000.00
9	Rule 5(2)(b)	Provision for Afforestation / Watershed Management in one measure ridge inside a forest block i.e Ghagas through LIDAR technology as per directions from Gol.	Ha	117.82	650.00
10	Rule 5(2)(d)	Protection of Bugyals	Ha	714	1141.85
11	Rule 5(2)(b)	Community based Mahila plant nursery development and maintenance	LS	LS	1000.00
		<b>SUB TOTAL</b>			<b>9999.40</b>
		<b>Forest Fire Protection</b>			
12	Rule 5(2)(f)	Forest Fire Prevention & Control Operations (Fire Watchers, vehicle hiring during fire season, crew stations etc.)	LS	LS	3000.00
13		Chir - Pirul Collection by local communities providing livelihood	Ton	50000	1000.00



S. No.	CAF Act / Rule	Component / Activity	Unit	Proposed	
				Physical Target	Financial Target
1	2	3	4	5	6
		supports			
14		<b>Protection of Forests</b>			
15		Regeneration of degraded forest by seeding, fire protection, maintenance of young plantation and other forest protection activities	LS	LS	4000.00
		<b>Sub-Total (Forest Fire)</b>			<b>8000.00</b>
16	Rule 5(2)(g)	<b>Soil and Moisture Conservation Works for regeneration of forest</b>			
i		Contour Trenches	Ha	8607	948.00
ii		Chal Khal / Check Dams	Nos.	18704	3699.47
iii		Const. of water harvesting structure for soil water resources for regeneration of forest areas Water Bodies (0.10 - 2.50 lakh litres)	Nos.	3895	1261.57
iv		Rejuvenation of water sources [Dhara-Naula , Kund , Taal and Maintenance of structures]	Nos.	763	1568.04
v		Rejuvenation of Rivers	Nos.	13	1917.59
vi		Plantation for Soil and Water conservation	Ha	185	170.00
vii		Percolation Pits / Tanks	Ha	484	116.03
viii		Preparation of DPR	Nos.	25	10.00
		<b>Sub-Total (Soil cons)</b>			<b>9690.70</b>
		<b>Wildlife Management</b>			
17	Rule 5(2)(k)	Construction & Maintenance of Rescue / Rehabilitation Center ( Haridwar, Kotdwar and	Nos.	5	1977.43

S. No.	CAF Act / Rule	Component / Activity	Unit	Proposed	
				Physical Target	Financial Target
1	2	3	4	5	6
		Corbett, Nainital, Almora CS)			
18		<b>Fencing, Trenches and Wild boar Proof Wall for Human Wildlife Conflict Mitigation</b>			
i	Rule 5(2)(d)	Fencing (Solar, Electric, Other)	km	280.49	1935.46
ii		Elephant Proof Trenches	km	1393.35	442.62
iii		Elephant / Wild Boar Proof Stone Concrete Wall	km	205.76	5472.70
iv		Maintenance of Stone Concrete Wall	Km	26.45	251.50
		<b>Sub-Total (Fencing/Wall)</b>			<b>10079.71</b>
19	Rule 5(2)(i)	Habitat Improvement (Lantana Removal, Maintenance and seed sowing/grassland nursery)	ha	11882.78	3703.12
20	Rule 5(2)(b)	Pasture / Chaur Development	Ha	520	106.25
21	Rule 5(2)(d)	EDC/Village Protection Force (Entry Pt. Activities, Microplanning, Human WL Conflict Mitigation Activities)	Nos.	108	191.20
		<b>Sub-Total</b>			<b>4000.57</b>
		<b>Strengthening of Wildlife Management</b>			
22	Rule 5(2)(m)	Estimation of Wildlife Populations	LS	LS	86.00
23	Rule 5(2)(m)	Management of biological diversity and biological resources ; Gauraiya Ashray Sthal and Other activities	Ha	10	500.00
24	Rule 5(2)(d)	Anti-Poaching Activities	LS	LS	194.35
25	Rule 5(2)(d)	Development of SPFG at Sensitive and High altitude	LS	LS	123.45



S. No.	CAF Act / Rule	Component / Activity	Unit	Proposed	
				Physical Target	Financial Target
1	2	3	4	5	6
		area			
26	Rule 5(2)(k)	Human Wildlife Conflict Resolution (Monkey capture & Sterilization, cages, etc.) / Quick Response Teams to tackle Human Wildlife Conflict	LS	LS	714.12
27	Rule 5(2)(k)	Equipment support for WL cons. (Rescue equipment and Hi-tech equipment for enhancement of enforcement)	Nos.	361	189.78
28	Rule 5(2)(k)	Food for Wild animals at Rescue Center (CS Almora, Nainital, Haridwar)	LS	LS	155.00
29	Rule 5(2)(k)	Strengthening of Wildlife Conservation & Track routes in PA	LS	LS	253.00
30	Rule 5(2)(k)	Monkey Rescue Center / Transit Rescue Center and including veterinary treatment	Nos.	4	1500.00
31	Rule 5(2)(g)	Construction & Maintenance of Water Holes	Nos.	389	237.80
		<b>Sub-Total</b>			<b>3953.50</b>
		<b>Strengthening of Van Panchayats</b>			
32	Rule 5(2)(d) and 5(2)(m)	Diffrent Activities in Van Panchayats(ANR , Pasture Development , Plantations, Training and Workshops, Prepration of Microplans etc.)	Nos.	4000 VPs	8695.82
33	Rule 5(2)(f)	Forest Fire Management in Van Panchayat			378.28
		<b>Sub-Total</b>			<b>9074.10</b>
34	Rule 5(2)(m)	<b>Forestry &amp; Wildlife</b>	LS	LS	812.06

S. No.	CAF Act / Rule	Component / Activity	Unit	Proposed	
				Physical Target	Financial Target
1	2	3	4	5	6
		<b>Research</b>			
35	Rule 5(2)(d)	Strengthening of Voluntary Village Wildlife Protection Force (VVFWF)	LS	LS	65.00
36	Rule 5(2)(l)	Non Conventional and Renewable Energy (Solar light etc. for remote forest areas)	LS	LS	182.55
37	Rule 5(2)(l)	Supply of wood saving cooking appliances and other forest produce saving devices in forest fringe villages.	Nos.	40	400.00
		<b>Sub-Total</b>			<b>1459.61</b>
	<b>Sub-Total</b>	<b>80.01 % of Total NPV</b>			<b>56257.59</b>
<b>Rest of the Activities (upto 20% of NPV)</b>					
38	Rule 5(3)	Training , workshop and Capacity Building including Wildlife	LS	LS	331.55
39	Rule 5(3)	Strengthening of Training Institutes and capacity building, FTA	No.	4	60.00
40	Rule 5(3)(g)	Survey, Demarcation and Boundary Pillars [79.41 lakh]	Ha	1990	99.88
41	Rule 5(3)(e)	Construction of Forest Guard Chowki / Mali Chowki / Range Quaters	Nos.	183	4930.36
42	Rule 5(3)(d)	Construction of Watch Towers / High altitude patrolling shelter / Mordernizatio of Strategic Barriers	Nos.	148	811.00
43	Rule 5(3)(d)	Upgradation of forest roads , Maintenance of inspection / Bridle path as per approved working plan	Km	5771.08	3486.32
44	Rule 5(3)(e)	Renovation of existing buildings (upto range	Nos.	756	1560.43



S. No.	CAF Act / Rule	Component / Activity	Unit	Proposed	
				Physical Target	Financial Target
1	2	3	4	5	6
		level) /			
45	Rule 5(3)(c)	Communication and Information Technology	LS	LS	1079.00
46	Rule 5(3)(i)	Public Awareness and Publicity Extension	LS	LS	1512.95
47	Rule 5(3)(d)	Maintenance of Fire lines	Km	3500	180.00
	<b>Sub-Total</b>	<b>( 19.98 of Total NPV)</b>			<b>14051.49</b>
	<b>TOTAL NPV</b>				<b>70309.08</b>
	<b>TOTAL APO</b>				<b>92130.90</b>
<b>E</b>	<b>INTEREST COMPONENT</b>				
<b>Activities under 60% Interest Component</b>					
1	Rule 6(a)(iv) & (v)	CAMPA Management (Salaries & allowances of regular staff & wages of contractual staff, sitting fees /allowances of nominated members of State Authority).	LS	LS	250.00
2	Rule 6(a)(i)	To offset the incremental cost of CA at the increased wage rates	LS	LS	575.00
3	Rule 6(a)(ii)	To offset the incremental cost of CAT Plan at the increased wage rates	LS	LS	575.00
4	Rule 6(a)(vi)	Monitoring and Evaluation works undertaken by State Authority	LS	LS	200.00
5	Rule 6(a)(vi)	Creation of ANR plantations ,Hightech & Community based Nurseries , Artificial Regeneration , Habitat Improvement			1000.00
		<b>Sub-Total (60% )</b>			<b>2600.00</b>
<b>Activities under 40% Interest Component</b>					

S. No.	CAF Act / Rule	Component / Activity	Unit	Proposed	
				Physical Target	Financial Target
1	2	3	4	5	6
6	Rule 6(b)(i)	Management of Office establishment of State Authority (printing & stationary, postage & telephone expenses including internet, office maintenance expenses, hospitality expenses etc.)	LS	LS	100.00
7	Rule 6(b)(ii)	Purchase of Office Equipment including Computers and Peripherals & Maintenance for State Authority	LS	LS	100.00
8	Rule 6(b)(iii)	Hiring of Vehicles/Staff Cars, fuel and maintenance for State Authority	LS	LS	50.00
9	Rule 6(b)(vi)	Purchase of Vehicles for forest & wildlife protection/management (Motorbikes)	No.	100	100.00
		<b>Sub-Total (40%)</b>			<b>350.00</b>
		<b>Total (Interest Component)</b>			<b>2950.00</b>
		<b>GRAND TOTAL (APO 2021-22)</b>			<b>95080.90</b>

समिति द्वारा उपरोक्त पर विचार-विमर्श उपरान्त वर्ष 2021-22 हेतु उक्तानुसार कुल ₹ 95080.90 लाख की वार्षिक कार्ययोजना संचालन समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।

कार्यसूची कार्यकारी समिति 5.5 अन्य बिन्दु अध्यक्ष महोदय की अनुमति से :-

- बैठक में सदस्यों द्वारा कैम्पा के अंतर्गत सम्पादित कार्यों की आन्तरिक एवं तृतीय पक्ष मूल्यांकन के सम्बन्ध में पृच्छा/चर्चा की गई, जिस पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि कैम्पा के अंतर्गत सम्पादित कार्यों का मूल्यांकन प्रभागों के सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी (वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक) के माध्यम से विभागीय



आदेशों/निर्देशों के अनुसार नियमित रूप से किया जा रहा है। साथ ही वनीकरण सम्बन्धी गतिविधियों का मूल्यांकन कार्य विभाग की मूल्यांकन एवं अनुश्रवण इकाई द्वारा भी नियमित रूप से किया जा रहा है। कैम्पा के अंतर्गत भी कार्यों की एम0आई0एस0 एवं ई-ग्रीन वॉच के माध्यम से समानान्तर ऑनलाइन मॉनीटरिंग की जा रही है।

विभाग के अतिरिक्त कैम्पा कार्यों की वाह्य संस्था-भारतीय वन अनुसन्धान संस्थान, देहरादून के माध्यम से भी अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य सम्पादित किया जा रहा है। समिति के समक्ष वन अनुसन्धान संस्थान द्वारा विगत वर्षों की मूल्यांकन रिपोर्टों को भी प्रस्तुत किया गया। इसके अतिरिक्त वित्तीय अनुश्रवण हेतु महालेखाकार, ऑडिट कार्यालय, देहरादून द्वारा कैम्पा गठन से वित्तीय वर्ष 2016-17 तक के लेखों का ऑडिट एवं बैलेन्सशीट ऑडिट/सत्यापन का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। महालेखाकार, उत्तराखण्ड से प्राप्त ऑडिट रिपोर्ट को राज्य विधानसभा में प्रस्तुत किए जाने हेतु उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित किया जा चुका है। समिति उपरोक्त से अवगत हुई।

- अध्यक्ष-कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा निर्देश दिए गये कि कैम्पा के अंतर्गत स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना के सापेक्ष अवशेष रह गये कार्यों को गुणवत्ता एवं समयबद्धता के आधार पर दिनांक 31 मार्च, 2021 तक पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही उनके द्वारा वर्ष 2020-21 हेतु अनुपूरक वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत स्वीकृत गतिविधियों को पूर्ण प्रयास के साथ मानकों के अनुरूप समयान्तर्गत पूर्ण किए जाने हेतु निर्देश दिये गये।

अन्त में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा अध्यक्ष-कार्यकारी समिति एवं समस्त उपस्थित सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक की समाप्ति की गई।



(जे0 एस0 सुहाग)

अपर प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं  
सदस्य सचिव-कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा



(राजीव भरतरी)

प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं  
अध्यक्ष-कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा






उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा)  
(प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (2016 का 38) की धारा 10(1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित)  
वन मुख्यालय, 85-राजपुर रोड, देहरादून टेलीफैक्स : 0135-2744077 ई-मेल: ceocampa-forest-uk@nic.in /ceoukcampa@gmail.com  
web site- www.ukcampa.org.in

पत्रांक- 937 / का0स0 (5)

दिनांक, देहरादून, फरवरी 24, 2021

प्रतिलिपि :- कार्यकारी समिति के निम्न मा0 सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-


1. प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी-वन संरक्षण, उत्तराखण्ड एवं सदस्य-कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
2. मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड एवं सदस्य-कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
3. अपर प्रमुख वन संरक्षक, अनुसन्धान, प्रशिक्षण एवं प्रबन्धन, उत्तराखण्ड एवं सदस्य-कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
4. नोडल अधिकारी, राज्य वन विकास अभिकरण (अपर प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनाएं) एवं सदस्य-कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
5. अपर सचिव-वन एवं पर्यावरण/वित्त/नियोजन/ग्राम्य विकास/राजस्व/कृषि/जनजाति विकास/पंचायती राज/विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एवं सदस्य-कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
6. वित्त नियंत्रक, वन विभाग एवं सदस्य-कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
7. श्री एस0टी0एस0 लेप्चा, सदस्य-कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
8. प्रतिनिधि-हिमालयन एक्शन रिसर्च सेन्टर, देहरादून, गैर सरकारी संगठन एवं सदस्य-कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
9. प्रतिनिधि-उज्जवला, कोटद्वार मालिनी मार्केट, कोटद्वार, गैर सरकारी संगठन एवं सदस्य-कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।

  
(जे.एस. सुहाग) 24/2/21

अपर प्रमुख वन संरक्षक/  
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,  
उत्तराखण्ड कैम्पा।

पत्रांक- 937 (1)/ का0स0(5) उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि: प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष-कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

  
(जे.एस. सुहाग) 24/2/21


अपर प्रमुख वन संरक्षक/  
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,  
उत्तराखण्ड कैम्पा।

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes the need for transparency and accountability in financial reporting.

2. The second part of the document outlines the various methods and techniques used to collect and analyze data. It includes a detailed description of the experimental procedures and the statistical tools employed.

3. The third part of the document presents the results of the study, showing the trends and patterns observed in the data. It includes several tables and graphs to illustrate the findings.

4. The fourth part of the document discusses the implications of the results and provides recommendations for future research. It also includes a conclusion summarizing the key points of the study.



5. The final part of the document includes a list of references and a list of figures. The references cite various sources used in the study, and the figures list the different data visualizations presented in the report.